न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 98 / 12 | **निर्णय दिनांकः— 14.5.2019**

1. सुरजाराम पुत्र बुधाराम जाति मेघवाल निवासी भादला तहसील नोखा जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. किस्तुराराम पुत्र चैनाराम जाति मेघवंशी निवासी पांचू तहसील नोखा जिला बीकानेर।
2. मांगीलाल | पिसरान चैनाराम जाति मेघवंशी निवासी पांचू तहसील
3. तकूराम | नोखा जिला बीकानेर।
4. नैनू बेवाह चैनाराम
5. दुर्गाराम पुत्र गिरधारीराम जाति मेघवंशी निवासी पांचू।
6. मानी बेवाह सांवलराम जाति मेघवंशी निवासी पांचू।
7. लूणाराम |
8. रामचन्द्र | पिसरान सावंलराम जाति मेघवंशी निवासी पांचू
9. डूंगरराम | तहसील नोखा जिला बीकानेर।
10. उदाराम |
11. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, नोखा।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 23—05—2012
उपखण्ड अधिकारी, नोखा

<u>उपस्थितः</u>

1. श्री विनोद पुरोहित, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, नोखा के आदेश दिनांक 23—05—2012 जिसके द्वारा अपीलांट के विरुद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक अपीलांट व राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गयी

3. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि यह अपील अब निष्फल हो चुकी है क्योंकि जिस जैर अपील आदेश के विरुद्व की गयी है वह दिनांक 28—12—2018 तक प्रभावी था और इसके बाद इस आदेश की अवधि नहीं बढ़ाई गयी है।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने कहा कि जैर अपील आदेश अब प्रभाव में नहीं रहा है, इसलिए इस अपील का गुणावगुण पर निर्धारण नहीं हो सकता, लेकिन इसे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा 2001(1) आर.आर.टी.01 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार मूल न्यायालय को नये सिरे से निर्णय करने हेतु लौटा दिया जावे ।

5. बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया ।

6. प्रस्तुत प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी, नोखा द्वारा 04—07—2018 को अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया गया था जिसकी अवधि दिनांक 28—08—2012 तक थी । अब उक्त जैर अपील आदेश प्रभाव में नहीं है क्योंकि उसकी अवधि आगे नहीं बढ़ाई गयी है, ऐसी स्थिति में यह अपील निष्फल हो गयी है । माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा "बाबूलाल बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू" 2001(1) आर.आर.टी. 01 में दिये गये दृष्टान्त के अनुसार यह प्रकरण मूल न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नोखा को इस निर्देश के साथ लौटाया जाता है कि वे इस प्रकरण में दोनों पक्षों को सुनकर एक माह की अवधि के भीतर निर्णय पारित करें । अपीलांट को जरिये अभिभाषक निर्देश दिये जाते हैं कि वे

उपखण्ड अधिकारी, नोखा के समक्ष दिनांक 29—05—2019 को उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

7. अपील फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो व अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जावे ।

8. निर्णय आज दिनांक 14—05—2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर